6/01/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अग्रिम
मिसल दिनांक 6/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

6/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अग्रिम
मिसल दिनांक 20/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट 17/4/17 को प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासनी लैला ने थाना नि. प्रतापगढ़ा से तलब पिछ एफआईआर दिनांक 9.16 को की कि अपराधी पुत्र राजू जाति जावड़ नि. मीठावाड़ ने मौजा मीठावाड़ के ख. न. 230 रकबा 0.48 है. निजी पट्टा प्राप्त में संवत 2073 खरीफ में अवैध कब्जा किया है।

इस प्रकार अपराधी के विरुद्ध UAC की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे स्वयं अपराधी को विधिवत तामिल कराया गया। उक्त नोटिस के जवाब में गैर लायल दिनांक 26/9/16 को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया कि उक्त ख. न. 230 रकबा 0.48 है. पट्टा रकबा व बकाश्त जमीन से होकर उसके भरण पोषण का मात्र जरिया है।

इसपर पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो कि दिनांक 17/4/17 को प्राप्त हुई पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपराधी ने हाल संवत 2073 खरीफ में उक्त ख. न. 230 रकबा 0.48 है. पट्टा अतिक्रमण किया है तथा उसका यह दावा कि वह जमीन से काबिज है जरूर है साथ ही राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अपराधी का मुल्जिमाना आचरण पट्टा अवैध कब्जा है अतः अपराधी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है और लायल को जुर्माना 2.30 x 0.48 = 9.60 को 50 गुणा 480/- (चार सौ अस्सी रु.) जुर्माना आरोपित किया जाता है और लायल को मौखिक रूप से बेदखल करके प्रमाणी पत्रावली एवं पांच कापी हेतु पटवारी हल्का बासनी लैला व TRA को लिखा जावे। पत्रावली नायब तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत होकर नकल से काम हो।

निर्णय से अवगत कराया जाता।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

2016-17 ..... रुपये 480
रो. 4 रोज बुक सं. 16 पर दर्ज
तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता